समाचार-प्रकाषनार्थः-

निगम के कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस से रखी जा रही है निगरानी

रतलाम 09 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण वाहन के माध्यम से घर-घर से कचरा संग्रहण कया जा रहा है इस कार्य में ओर गति लाये जाने हेतु कचरा संग्रहण वाहनों पर जीपीएस सस्टम से निगरानी रखी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क घर-घर से कचरा संग्रहण हेतु वाहन वार्डो में समय पर पंहूचे व तय रूट पर चले इस हेतु वाहनों पर जीपीएस सस्टम लगाया गया है। स वक सेन्टर स्थित मटिंग हॉल में संचा लत एसबीएम सेल से वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है। वाहन वार्डो में समय पर नहीं पंहूचने पर संबं धत ड्रायवर व कर्मचारियों पर अनुषासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक काम्पेक्टर में होगा एकत्रित

रतलाम 09 फरवरी । निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया गया गीला व सूखा कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पृथक-पृथक पंहूचे इस हेतु अमृत सागर स्थित ट्रांसफर स्टेषन पर 2 काम्पेक्टर वाहन लगाये गये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क ट्रांसफर स्टेषन पर लगाये गये एक काम्पेक्टर में गीला व दूसरे काम्पेक्टर में सूखा कचरा निगम के कचरा संग्रहण वाहनों से एकत्रित कया जाकर जुलवानिया टेª ंचग ग्राउण्ड पर पृथक-पृथक डाला जायेगा।

दरोगा व सफाई कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम 09 फरवरी । धनजीभाई के नोहरे में सफाई उपरान्त कचरा नहीं उठाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दरोगा दिनेश-मोतीलाल व सफाई संरक्षक रानीबाई- वनोद एक दिवस का वेतन काटा जाकर में कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कया जाकर तीन दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया है।

राजेन्द्र नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 21ए31ए500६. संपत्तिकर व 5ए23ए650६. जलकर जमा कराया

रतलाम 09 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित षवरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबंधत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया राष जमा करा सकेगें।
निगम द्वारा आयोजित षवरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षवर में संपत्तिकर 1ए10ए000ध्. व जलकर 6ए000ध्.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षवर में संपत्तिकर 1ए40ए000ध्. व जलकर 55ए775ध्.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विर में संपत्तिकर 2ए38ए000ध्. व जलकर 49ए010ध्.ए वनोबा नगर षवर में संपत्तिकर 1ए29ए000ध्. व जलकर 43ए670ध्.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल षवर में संपत्तिकर 1ए22000ध्. व जलकर 29ए280ध्.ए तिरूपति षवर में संपत्तिकर 77ए000ध्. व जलकर 19ए850ध्.ए कोमल नगर षवर में संपत्तिकर 1ए27ए000ध्. व जलकर 48ए220ध्.ए मार्निंग स्टार स्कूल षवर में संपत्तिकर 1ए12ए000ध्. व जलकर 14ए000ध्.ए कस्तुरबा नगर षवर में संपत्तिकर 5ए47ए000ध्. व जलकर 86ए540ध्.ए प्रयदर्षनी नगर षवर में संपत्तिकर 1ए02ए000ध्. व जलकर 3ए76ए905ध्.ए डोंगरे नगर षवर में संपत्तिकर 1ए82ए500ध्. व जलकर 76ए470ध्.ए हाट रोड षवर में संपत्तिकर 68ए000ध्. व जलकर 47ए595ध्.ए कलीमी कालोनी षवर में संपत्तिकर 1ए17ए000ध्. व जलकर 22ए680ध्. की राष जमा कराई। इस तरह नागरिकांें ने अब तक आयोजित षवरों मेंें 21ए31ए500ध्. संपत्तिकर व 5ए23ए650ध्. जलकर की राष जमा कराई।
वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली षवरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 18 के लये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में षवर आयोजित कये गये है।
निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त षवर बकायादारों की सुवधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित षवरों में बकायादार अपनी बकाया राष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

रिलायंस जियो ने 2000 मास्क दान कये
रतलाम 09 फरवरी । कोरोन वायरस (कोवड-19द्ध के संक्रमण की रोकथाम हेतु जरूरतमंद व्यक्तियों मास्क उपलब्ध कराये जाने हेतु रिलायंस जियो के एरिया मैनेजर श्री युद्धवीरसंह ने उपायुक्त श्री वकास सोलंकी को कम्पनी की ओर से 2000 मास्क जरूरतमंद व्यक्तियों हेतु प्रदान कये।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
649 मवेशयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 09 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 09 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 649 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 09 फरवरी को हनुमान तालए अलकापुरीए रत्नपुरीए मुखर्जी नगर व कस्तुरबा नगर से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त

110 दिनों में 142 वॉल्व व 727 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 09 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 09 फरवरी तक 142 वॉल्व व 727 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 09 फरवरी मंगलवार को अलकापुरी बी-68 के सामनेए मुखर्जी नगरए हरमाला रोड ताज स्टोन के पासए गांधी नगरए सेंट जोसेफ कानवेंट स्कूल के पासए पुरोहित जी का वासए समता परिसरए बोहरा बाखल व मिशन कम्पाउण्ड में पाईप लाईन लीकेज के साथ ही कस्तुरबा नगर टंकी का एयर वॉल्व दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 09 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 09 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने

की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 09 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 09 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये

काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहृन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहृयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हृजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/09ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.